	(ii) कोई भी सूचना जो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त प्रस्तुत कर सकते हैं और जो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के सामने ग्राम परिषद द्वारा कुछ चीज़ों को करने की मांग करने के लिए पेश किया जाता है, उपायुक्त और सहायक आयुक्त को लिखित उत्तर देना ; जैसा भी मामला हो और ऐसा करने से बाज आने के कारणों को बताते हुए उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर लिखित जवाब दिया जाता है ।	
	46. यदि किसी भी समय उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परिषद ने इस विनियम द्वारा लागू किए गए कर्त्तव्य के निष्पादन में जानबूझ कर चूक किया हो, उसे आदेश द्वारा लिखित में, कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित करना । बशर्ते कि निर्धारित अवधि के भीतर कर्त्तव्य का निष्पादन नहीं किया, तो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त किसी अन्य व्यक्ति को इसे पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, और निदेश दिया जाएगा कि ऐसे कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए चूककर्त्ता ग्राम परिषद द्वारा जैसा की उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त सही माने अदा किया जाएगा ।	ग्राम परिषद द्वारा ड्यूटी के निष्पादन में चूक
	47. (1) यदि उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के राय में ग्राम परिषद की ओर से ग्राम परिषद की ओर से ग्राम परिषद के किसी आदेश अथवा संकल्प के निष्पादन अथवा कोई भी कार्य जो किया जाना है अथवा किया जा रहा है, से आम जनता को क्षति अथवा परेशानी हो रही है अथवा होने वाली है अथवा शांति का उल्लंघन अथवा गैर कानूनी है, वो लिखित आदेश द्वारा निष्पादन को रोक सकते हैं अथवा ऐसा करने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । (2) जब उपायुक्त और सहायक आयुक्त उप धारा (1) के अन्तर्गत आदेश बनाते हैं वे तत्काल इससे प्रभावित ग्राम परिषद को आदेश की प्रति इस आदेश के बनाने के कारणों के विवरण के साथ भेजेंगे । (3) सहायक आयुक्त द्वारा किस परिस्थिति में इस धारा के अन्तर्गत इस आदेश को बनाया गया था, इसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट तत्काल उपायुक्त को प्रस्तुत करेंगे और उपायुक्त ग्राम परिषद को नोटिस देने और जैसा वे उचित समझे वैसे जाँच करने के बाद आदेश को रद्द करेंगे, परिवर्तन करेंगे अथवा इसका पुष्टि करेंगे ।	ग्राम परिषद के संकल्प के आदेश को निलम्बित करना ।
	48. (1) ग्राम परिषद का प्रत्येक सदस्य ग्राम साधारण निकाय के पैसे अथवा अन्य सम्पत्ति की हानि, दुरुपयोग करने अथवा गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार होंगे जिसका वह एक सदस्य है अथवा जो उसके गलत आचारण के कारण अथवा सदस्य के रूप में अपनी कर्त्तव्य को जानबूझ कर अनदेखा करने के कारण हुई है, इसे धोखा धड़ी माना जाएगा ।	क्षति दुरुपयोग करने अथवा गलत इस्तेमाल के लिए सदस्यों का दायित्व